न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली
पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

धानसिंह पुत्र देवीराम जाति जाटव निवासी चिम्मन का पुरा, पटोंदा, तहसील हिण्डौन जिला करौली — अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, जिला करौली — रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं.—23/19 ता.रजु21.10.19

अपीलअंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक—06.11.2019

1. अपीलाण्टउपस्थित।
2. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को दिनांक—02.09.2019 को आवेदन पत्र प्रेषित कर कुल 3 बिन्दुओं की सूचना में राशन कार्ड नं. 007657400440 पर 01 जनवरी 2017 से जुलाई 2019 तक दिये गये राशन की जानकारी उपलब्ध कराने, बिन्दु संख्या 2 में ग्राम पंचायत में नजदीकी राशन डीलर पर राशन लेने की क्या व्यवस्था वर्तमान में है उपलब्ध कराने से संबंधित एवं बिन्दु संख्या 3 में ग्राम पंचायत पटोंदा में स्थिति पटोंदा में स्थित सभी राशन डीलरों से माह जनवरी 2017 से अगस्त 2019 तक कब, कितना राशन कार्यालय से उठावा किया व कितना वितरित किया आदि से संबंधित सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
3. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 02.09.2019 को प्रेषित आवेदन पत्र की छायाप्रति, आवेदन पत्र के साथ संलग्न शुल्क का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।
5. जिला रसद अधिकारी से प्राप्त जबाव से अपीलाण्ट को पत्र क्रमांक 1849—50 दिनांक 04.11.2019 से सूचना भिजवाई जा चुकी है।
6. अस्तु इस कार्यालय से कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
7. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
9. निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.12.06 17:12:06 IST
Reason: SelfAttested